न्यायालय सहायक कलक्टर (Fast-Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 137/2019

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 पोकराराम पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी डाबलीसरा (चवा) तहसील व जिला बाडमेर।		1 कौशलाराम 2 मोटाराम 3 जगमालराम 4 मगाराम पिसरान हनुमानराम जाति जाट निवासी डाबलीसरा (चवा) तहसील व जिला बाडमेर 5 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 श्री हुकमसिंह चौधरी, वकील प्रार्थी।
2 श्री चेतनराम सारण, वकील अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 06/09/21

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थी द्वारा एक ओवदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डाबलीसराम पटवार क्षेत्र चवा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 56 रकबा 184.14 बीघा खसरा संख्या 56/1429 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 641/56 रकबा 06.11 कुल रकबा 192.01 बीघा भूमि की आई हुई है। उक्त भूमि अविभाजित है तथा संयुक्त खातेदारी व कब्जा–काश्त की है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का आया हुआ है। प्रार्थी मजदूरी हेतु पाली में निवास करता है तथा उसका परिवार व पत्नी रहवासी ढाणी में निवास करते है। दिनांक 21.09.2019 को प्रार्थी बीकानेर गया हुआ था उक्त स्थिति का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण एवं उसके परिवार वालो ने मिलकर प्रार्थी की रहवासी ढाणी एवं बाड़े पर अपना निवास बताने हेतु ध्वस्त कर दिये। यदि अप्रार्थीगण, प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करने में सफल होता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप न करे, मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नॉटिस जारी किये गये तथा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के विरूद्ध आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 01 से 03 जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है, जो संयुक्त खातेदारी की है, जिसका वर्षो पूर्व आपस मे बंटवाड़ा कर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। बंटावाड़ा अनुसार ही प्रार्थी का मकान उसके हिस्से

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

वाली भूमि पर बना हुआ है। अप्रार्थीगण, जो गरीब कृषक है, उन्हे परेशान करने हेतु उसकी रहवासी ढाणी नही बनाने दे रहा है इस हेतु प्रार्थी ने यह वाद प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की रहवासी ढाणी कभी नष्ट नही की तथा न ही किसी प्रकार की दखलन्दाजी की है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षों को सुना गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा डाबलीसराम पटवार क्षेत्र चवा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 56 रकबा 184.14 बीघा खसरा संख्या 56/1429 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 641/56 रकबा 06.11 कुल रकबा 192.01 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि संयुक्त कब्जा काश्त की अविभाजित है। उक्त अविभाजित भूमि के विभाजन हेतु जो वाद प्रस्तुत किया गया है उसे प्राथमिक रूप से स्वीकार कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किया जा चुका है। अविभाजित भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर कोई भी पक्षकार निर्माण कार्य करता है तो भविष्य में कब्जा काश्त निर्धारण करने में समस्या पैदा होती है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में विशिष्ठ भू–भाग पर किसी भी पक्षकारान द्वारा निर्माण कार्य किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त उभय पक्षों को वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से पाबन्द किया जाता है कि मौजा डाबलीसराम पटवार क्षेत्र चवा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 56 रकबा 184.14 बीघा खसरा संख्या 56/1429 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 641/56 रकबा 06.11 कुल रकबा 192.01 बीघा भूमि में उभय पक्ष किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें। मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। तहसीलदार बाडमेर प्राथमिक डिकरी के अनुरूप मौके पर भूमि विभाजन का प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध करावें।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्टट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 06/09/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्टट्रेक) बाड़मेर